बैठक दिनांक 09-4-2018 मध्याह्न 12:00 बजे
संख्या- 257 /सत्तर-1-2018-

प्रेषक,

मधु जोशी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : •८ अप्रैल, 2018

विषय:- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्राविधानों का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिव्यांगजन अधिकारों से सम्बन्धित विषयों के संदर्भ में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या-49/2016) विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रख्यापित है। उक्त अधिनियम के प्राविधानों को लागू किये जाने तथा अनुपालन अख्या शासन को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-26/सत्तर-1-2018 दिनांक 09 फरवरी, 2018 द्वारा निर्देश निर्गत किये गये थे किन्तु अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

2- उत्तर प्रदेश सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा अधिनियम के प्राविधानों को लागू किये जाने की समीक्षा की जा रही है तथा इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 10-4-2018 को समीक्षा बैठक आहूत की गयी है। यह भी अवगत कराना है कि अधिनियम के प्राविधानों के प्रभावी कियान्वयन हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका संख्या-116/1998 जस्टिस सुनंदा भंडारे फाउंडेशन बनाम यूनियन आफ इंडिया व अन्य तथा जनहित याचिका संख्या-243/2005 राजीव रतूड़ी बनाम यूनियन आफ इंडिया व अन्य योजित की गयी है। उक्त जनहित याचिकाओं में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश कमशः दिनांक 25-1-2018 तथा 15-12-2017 के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के प्राविधानों के कियान्वयन के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की स्टेटस रिपोर्ट 03 माह के अंदर मा0 उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जानी है।

3- उपर्युक्त के दृष्टिगत दिनांक 10-4-2018 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है, जिसके दृष्टिगत उच्च शिक्षा विभाग की ओर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अधिनियम का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में आख्या अपेक्षित है।

4- उपर्युक्त के दृष्टिगत उच्च शिक्षा विभाग के स्तर पर समीक्षा हेतु दिनांक 09-4-2018 को मध्याह्न 12:00 बजे सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक बैठक

आयोजित की गयी है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का अनुपालन उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भ में सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या सहित बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मधु जोशी)
विशेष सचिव

संख्या– 257 (1)/सत्तर–1–2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, इंदिरा भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से समस्त सम्बन्धित को परिचालित करते हुये सूचनाएं संकलित करें तथा शासन को शीघ्र उपलब्ध करायें।

(2) समस्त अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि अपने अनुभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करायें तथा बैठक में प्रतिभाग करें।

(3) उप निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि दिव्यांगजन से सम्बन्धित वेबपोर्टल को विभागीय वेबसाइट से लिंक करने की कार्यवाही एन0आई0सी0 के सहयोग से कराने हेतु समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(4) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(मधु जोशी)
विशेष सचिव

संख्या- [illegible]

प्रेषक,

[illegible]
सचिव
[illegible] शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible] अधिकारी
8. [illegible]

[illegible] अनुभाग-[illegible]   [illegible] दिनांक [illegible]

विषय- [illegible] अधिनियम 2010 [illegible]

महोदय,

[illegible]

2- [illegible]

3- [illegible]

भवदीय,

[illegible]
सचिव

संख्या- [illegible]

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) [illegible]

(2) [illegible]

आज्ञा से,

[illegible]
[illegible]

संख्या- [illegible]

प्रेषक,

[illegible]
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।
[illegible]
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1 [illegible]

विषय:- [illegible] अधिकार अधिनियम, 2016 [illegible]

महोदय,

[illegible] अधिकार अधिनियम, 2016 [illegible]

[illegible]

[illegible] अधिनियम, 2016 [illegible]

भवदीय,

[illegible]
सचिव

संख्या- [illegible] तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) [illegible]

(2) [illegible]

आज्ञा से,

[illegible]
[illegible]

समयबद्ध/अतिमहत्वपूर्ण

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उ0शि0)
डिग्री विकास अनुभाग,
उ0प्र0 इलाहाबाद।

सेवा में,

1–समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
2–समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, राजकीय, अशासकीय, स्ववित्तपोषित
महाविद्यालय, उ0प्र0।

पत्रांक – डिग्री विकास/ 1755–2/2017–18 दिनांक 06/02/2018

विषय– दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 (THE RIGHT OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT, 2016) के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–3 के पत्र संख्या– 06/65–3–2018–01/2017टी0सी0, लखनऊ दिनांक 15–01–2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 (THE RIGHT OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT, 2016) के सम्बन्ध में दिनांक 6–12–2017 को प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में सम्बन्धित विभागों से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 (THE RIGHT OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT, 2016) की सुसंगत धाराओं/प्राविधानों के अनुरूप विभाग से सम्बन्धित कार्यवाही पूर्ण कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी तथा साथ ही निर्देश दिया गया था कि प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 25–1–2018 को बापू भवन तृतीय तल कार्यालय कक्ष संख्या– 301 में आहूत बैठक में अपने विभाग से सम्बन्धित कृत कार्यवाही, अनुपालन आख्या तथा संगत सूचनाओं के साथ प्रतिभाग किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

ध्यातव्य है कि संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 161/सत्तर–3–2018–07(206)/2017 लखनऊ, दिनांक 19–01–2018 द्वारा निर्देश दिया गया कि दिनांक 25–1–2018 को उपर्युक्त आहूत बैठक में संगत सूचनाओं सहित प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि कोई उच्च पदस्थ अधिकारी को निदेशालय स्तर पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 (THE RIGHT OF PERSONS WITH